न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 01/2019

1. अनिल कुमार पुत्र भानी राम जाति अरोडा निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्री करणपुर ।

--प्रार्थी--

बनाम

1. सुखवीर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।
2. लखवीर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।
3. हरपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।
4. गुरपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।
5. शिवराज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।
6. कुलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

--निर्णय--

दिनांक :२८/१२/१९

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 13 एच की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 52/40 के मु.न. 62 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थी के नाम 0.632 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है जिसमें वाहमी बंटवारानुसार प्रार्थी को मु.न. 62 के किला न. 21,22 सालम-सालम व किला न. 23 के 0.126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। चक 13 एच की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 110/116 के मु.न. 2 के 6.325 हैक्टर नहरी व मु.न. 3 के 6.325 हैक्टर नहरी बारानी व मु.न. 61 के किला न. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 सालम-सालम व 13/2 के 0.127 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर नहरी व मु.न. 66 के 0.380 हैक्टर नहरी कुल क्षेत्रफल 17.939 हैक्टर नहरी बारानी में अप्रार्थीगण सहिस्सेदार खातेदार है। अप्रार्थीगण के मु.न. 61 के किला न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक की पश्चिम दिशा में मंजूरशुदा रास्ता है तथा इसी मु.न. 61 के किला न. 21,22 की दक्षिण दिशा में भी 2-2 बिस्वा मंजूरशुदा रास्ता है, जिससे होकर प्रार्थी अप्रार्थीगण के मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 की दक्षिण बट के साथ-साथ होते हुए अपने मु.न. 62 के किला न. 21 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता पिछले करीब 25-30 वर्षो से चला आ रहा है जो आज भी मौका पर चालू है। प्रार्थी अपनी चक 13 एच की मु.न. 62 के किला न. 21, 22, 23 की भूमि में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी राजर
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

के मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 की दक्षिण बट के साथ-साथ पश्चिम से पूर्व बट के साथ 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा रास्ता को मंजूर करवाना चाहता है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पिछले करीब 25-30 वर्षो से चला आ रहा है। जो मौका पर चालू है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास मु.न. 62 की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। इस चल रहे रास्ते को मंजूर करवाने के लिए प्रार्थी ने आज से दो रोज पूर्व अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गए और कहने लगे कि हम तो उक्त चालू रास्ता को बन्द कर देगें आपको जो करना है कर लो। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त चालू रास्ता बन्द कर दिया तो मुझ प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को काश्त करने में असमर्थ हो जायेगा। जिससे मुझ प्रार्थी को भारी आर्थिक व मानसिक नुकसान पहुचेगा। इसलिए चाहा गया रास्ता न्यायहित में मंजूर किया जाना विधि सम्मत है। प्रार्थी उक्त चाहे गये 4-1/2 बिस्वा रास्ता के बदले में अप्रार्थीगण को अपने चिपती हुई भूमि में से 4-1/2 बिस्वा भूमि देने को तैयार है। तथा यदि अप्रार्थीगण भूमि ना लेना चाहे तो प्रार्थी उक्त 4-1/2 बिस्वा की निर्धारित राशि अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 13 एच के मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 की दक्षिण बट के साथ-साथ पश्चिम से पूर्व बट के साथ 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा (तीनो बीघो में) रास्ता कुल 4-1/2 बिस्वा रास्ता को मंजूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थित आए। व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 तामील बावजूद उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार अंकित की गई है स्वीकार नहीं है। कथित खाता की भूमि का वाहमी विभाजन होने अथवा वादी को मुरबा न. 62 के किला न. 21, 22 सालम-सालम तथा किला न. 23 के 0.126 हैक्टर भूमि प्राप्त होने के कथन सरासर गलत अंकित किए गये है। जो स्वीकार नहीं है। मु. न. 62 के 25 बीघा भूमि मुर्शतका खाता की भूमि है। जिसमें वादी के नाम केवल 0.632 हैक्टर भूमि दर्ज है, शेष भूमि सह खातेदारन की है। जिनको वाद में पक्षकारन के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। यह विधि का नियम है कि किसी भी मुर्शतका खाता की भूमि का विधिक बंटवारा नही हो जाता तव तक किसी भी खातेदार के पास कोई किला विशेष होना नही कहा जा सकता प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के दोष से दुषित होने के कारण पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 इस हद तक स्वीकार है कि चक 13 एच के मु.न. 61 के किला न. 1,10,11,20,21 के पश्चिमी दिशा में मंजूर शूदा रास्ता है। तथा इस मुरब्बा न. 61 के किला न. 21 व 22 के दक्षिणी ओर 2-2 बिस्वा रास्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा अपने खेत में आवागमन हेतु केवल स्वंय के लिए न्यायालय से स्वीकार करवाया है जिसके लिए प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत रास्ता की एवज में 4 बिस्वा सम्बन्धित को दी है। शेष अस्वीकार है। प्रार्थी का मु.न. 61 में से होकर अपने खेत में आने जाने के कथन गलत है। किला न. 23 ता 25 में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा। मद संख्या 5 गलत अंकित होने के कारण अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि मु.न. 62 में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हो। प्रार्थी व मु.न. 62 के अन्य काश्त कार मु.न. 41 के किला न. 5,6,15,16,25 में से होकर मु.न. 62 के किला न. 5 में प्रवेश करते है। प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है। मद संख्या 6 गलत अंकित होने के कारण अस्वीकार

(मूलचन्द ...)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
...रणपुर

Scanned by CamScanner

है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। मद संख्या 7 गलत अंकित होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 8 कानूनी है। जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 154 दिनांक 18.03.2019 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसके अनुसार यह रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। प्रार्थी के अप्रार्थीगण की जोत में से होकर पहुचने का निकटतम वैकल्पिक साधन नहीं है। सलग्न फर्दमौका के अनुसार चक 13 एच के मु.न. 61 के किला न. 21 व 22 में प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल संख्या 781 दिनांक 5.06. 2017 के द्वारा दर्ज है जो मौका पर चल रहा है। मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 जमाबन्दी के खाता संख्या 110 के संयुक्त खाते में दर्ज है। जो अप्रार्थीगण के साझा खाता के रूप में दर्ज है। मु.न. 62 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर रकबा खाता संख्या 52 में साझा खाता में दर्ज है। जिसमें अनिल कुमार पुत्र भानी राम का 0.948 हैक्टर रकबा दर्ज है। इस 0.948 हैक्टर में से मु.न. 62 के किला न. 21 , 22 सालम व किला न. 23 में 0.126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर भूमि वाहमी बंटवारा अनुसार काश्त हेतू प्राप्त है जिसमें आने जाने के लिए मु.न. 62 के किला न. 23,24,25 में दक्षिणी बट के साथ-साथ रास्ता की मांग की गई है। मौका तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मु.न. 62 में पहुचने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। तथा मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 में कोई रास्ता नहीं चल रहा। मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 में जो रास्ता की मांग की गई है वह निकटतम है तथा अत्यांतिक आवश्यकता है और न ही जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए है। प्रार्थी के पास अपनी जोत में पहुचने का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया एवं यह भी निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र में सवहन से मु.न. 41 लिख दिया जबकि सही मु.न. 40 है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 13 एच सुन्दरपुरा के मु.न. 62 के किला न. 21,22,23 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ पश्चिम से पूर्व बट के साथ-साथ प्रत्येक में 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा कुल 4-1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि मौका पर कोई रास्ता नहीं चल रहा प्रार्थीगण मु.न. 41 के किला न. 5,6,15,16,25 में से होकर मु.न. 62 के किला न. 5 में प्रवेश करते है। व प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया है रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उपर्युक्त रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है, और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। प्रार्थी के अप्रार्थीगण की खातेदार की जोत में से होकर पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 13 एच सुन्दरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के मु.न. 61 के किला न. 23,24,25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ पश्चिम से पूर्व बट के साथ-साथ प्रत्येक में 1-1/2 - 1-1/2 बिस्वा कुल 4-1/2 बिस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

इस रास्ता की 4-1/2 बिस्वा भूमि के बदले अप्रार्थीगण को 4-1/2 बिस्वा भूमि देय होगी जो प्रार्थी अपनी भूमि में से अप्रार्थीगण के साथ चिपती भूमि में से देगा या डीएलसी रेट की दोगुनी राशि का भुगतान करेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक २७/१२/१९ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.01.07 12:15:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: